झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा	दशम् (शीतकालीन) सत्र
संख्या-03	बुधवार, दिनांक-21 दिसम्बर, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.37 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

i- राज्य के विभिन्न थानों द्वारा विशेषकर परीक्षा में शामिल होनेवाले छात्र-छात्राओं को रोककर रखे जाने की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने आकृष्ट किया जिसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया,

ii- तजाकिस्तान में झारखण्ड के फँसे मजदूरों की वापसी हेतु माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने आसन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया,

iii-माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने दिनांक-20.12.2022 को माननीय राज्यपाल महोदय से सरकार द्वारा मुलाकात किये जाने के क्रम में प्रतिपक्ष के सदस्यों का साथ नहीं मिलने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी भावना को अभिव्यक्त किया,

iv-माननीय सदस्य, श्री लोबिन हेम्ब्रम ने साहेबगंज में राबिका के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा एवं नौकरी दिये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

v-माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने आसन के माध्यम से सूचित किया कि 1932 का खतियान लागू किये जाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है और अग्रेत्तर कार्रवाई की भूमिका राज्य सरकार की है।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-58

(क) उत्तरित कुल-09,	अ० सू०-61,	श्री नवीन जयसवाल,	स०वि०स०,
	अ० सू०-63,	श्री निरल पुरती,	स०वि०स०,
	अ० सू०-65,	श्री सुदेश कुमार महतो,	स०वि०स०,
	अ० सू०-68,	श्री नलिन सोरेन,	स०वि०स०,
	अ० सू०-70,	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	स०वि०स०,
	अ० सू०-71,	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	स०वि०स०,
	अ० सू०-72,	श्री अमित कुमार मण्डल,	स०वि०स०,
	अ० सू०-73,	श्री अमित कुमार यादव,	स०वि०स०,
	अ० सू०-74,	श्री संजीव सरदार,	स०वि०स०।

क्र० पृ० उ०

(ख) अपृष्ठ कुल-05, अ० सू०-62, श्री अमर कुमार बाउरी, स०वि०स०,
अ० सू०-64, श्रीमती पुष्पा देवी, स०वि०स०,
अ० सू०-66, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स०,
अ० सू०-67, श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स०,
अ० सू०-69, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-44, अ० सू०-75 से लेकर अ० सू०-118 तक।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने नियोजन नीति पर चर्चा कराये जाने की माँग की जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री सुदिव्य कुमार द्वारा विरोध जताते हुए कहा गया कि प्रश्नकाल के दौरान इस प्रकार की माँग अनुचित है।

3.शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा आसन की अनुमति से पढ़ा गया-

श्री मनीष जायसवाल,
श्री बिरंची नारायण,
श्री राज सिन्हा,
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री प्रदीप यादव,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्री राजेश कच्छप,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,
श्री केदार हजरा,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
श्री अनंत कुमार ओझा,
श्री नारायण दास,

(इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री नारायण दास ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि जसीडीह में इंटर की एक छात्रा का दोनों पैर रेलवे ट्रैक पर कटवा दिया गया जो अत्यंत ही दर्दनाक है।)

श्री निरल पुरती,
श्री दशरथ गागराई,
डॉ० नीरा यादव,
श्री संजीव सरदार,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री रणधीर कुमार सिंह।

कृ० पृ० उ०

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने अनुरोधपूर्वक आसन का ध्यान निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया-

i-माननीय सदस्यों तथा पूर्व सदस्यों के आश्रितों को मेडिकल की सुविधा प्राप्त नहीं है,

ii-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आश्रितों को उक्त सुविधा प्राप्त है,

iii-माननीय सदस्यों द्वारा जो मेडिकल का दावा किया जाता है, उसमें भी 50 प्रतिशत की राशि काट दी जाती है अतएव इन पूरे विषयों की जाँच हेतु विधान सभा की एक विशेष समिति बनायी जाय।

4.आसन से नियमन:-

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए आसन द्वारा उक्त विषयों की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु विधान सभा की एक समिति बनाये जाने हेतु घोषणा की गयी।

5.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i-माननीय सदस्य, श्री नलिन सोरेन द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii-माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii-माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv-माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

(क) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002" की धारा-14 के अधीन वित्तीय वर्ष-2020-21 अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 एवं वित्तीय वर्ष-2021-22 अवधि 01.04.2021 से 31.03.2022 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी,

(ख) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखण्ड राज्य की महिलाओं को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के निमित्त "झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2017" से आच्छादित शिक्षकों के पद को "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001" के दायरे से बाहर करने से सम्बन्धित संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी।

7.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

(क) पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति द्वारा चतुर्थ, पंचम् एवं षष्ठम् प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

(ख) पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री दीपक बिरूवा, सरकारी आश्वासन समिति द्वारा 47वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

8.वित्तीय कार्य:-

आसन से पुकारे जाने पर योजना सह वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-4 **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)''** से सम्बन्धित मांग प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

9.वित्तीय कार्य (क्रमांक-8 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री सुदिव्य कुमार,
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
श्री प्रदीप यादव,
श्री अमित कुमार यादव,

(इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

तदुपरांत डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रभारी मंत्री (वित्त) द्वारा दिये गये सरकारी उत्तरोपरांत द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-4 ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' में सम्मिलित मांगें बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबन्द) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, भानू प्रताप शाही द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री प्रदीप यादव ने राज्य में नियोजन को लेकर आंदोलित छात्र-छात्राओं की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु सरकार से अनुरोध किया जिसपर सदन नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा विस्तार से तथ्यों को प्रस्तुत किया गया।

10.विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

क्र०पृ०उ०

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक-2022"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। तदुपरांत सभा की कार्यवाही गुरूवार, **दिनांक-22.12.2022 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 21 दिसम्बर, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा।